6204(E)
2/9/2026

निर्गत शाखा
2/9/26

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 02-09-2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल सं0–1, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.-04B/Muzaffarpur-01 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक–2217(E) दिनांक–01.04.2026, पत्रांक–2360(E) दिनांक–09.04.2026 एवं पत्रांक–5625(E) दिनांक–17.08.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री अभिषेक पलासिया, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक–13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक–2448 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2610(अनु०) दिनांक–26.08.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक–25.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या	:	पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.-04B/ Muzaffarpur-01
2.2	योजना मद	:	3054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमण्डल सं0–1, मुजफ्फरपुर।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹16141.13 लाख। विभागीय ज्ञापांक–3247(एस०) दिनांक–12.05.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹17564.47 लाख। मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–1592(अनु०) दिनांक–22.05.2026
2.6	ECV/परिमाण विपत्र की राशि	:	₹15512.13635 लाख।
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (Eighty-four) Months.
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	03.07.2026

2.10 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित 10 (दस) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) M/s Ram Kripal Singh Constrtuction Pvt. Ltd.
(2) M/s Ashoka Buildcon Limited
(3) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd.
(4) M/s Adarsh Construction
(5) SCC Infrastructure Pvt. Ltd.
(6) Silica Infra Pvt. Ltd.
(7) M/s Vinod Kumar Jain
(8) M/s Velji Ratna Sorathia Infra Pvt. Ltd.
(9) T & T Infra– Aakshya 'JV'
(10) Avednex Private Limited

4. उपभागीय ज्ञापांक–2448 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में उक्त निविदा में **चार** निविदाकार यथा **(i)** M/s Adarsh Construction **(ii)** SCC Infrastructure Pvt. Ltd. (iii) Silica Infra Pvt. Ltd. एवं **(iv)** M/s Velji Ratna Sorathia Infra Pvt. Ltd. निविदा की वांछित अर्हत्ता को पूर्ण करने के फलस्वरूप इन्हे तकनीकी बीड में सफल घोषित किया गया।

शेष छः निविदाकार यथा (i) M/s Ashoka Buildcon Limited (ii) M/s Ram Kripal Singh Constrtuction Pvt. Ltd. (iii) M/s Vinod Kumar Jain (iv) T & T – Aakshya 'JV' (v) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. को वांछित अर्हत्ता पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया एवं (vi) Avednex Private Limited द्वारा e-proc 2 में वांछित कागजातों के विरूद्ध केवल GST रजिस्ट्रेशन निविदा के साथ Upload किये जाने के फलस्वरूप इनके निविदा को अमान्य किया गया।

विभागीय निदेश के अनुसार दो कार्य दिवस में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोलने का निदेश दिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक–2448 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरूद्ध विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) M/s Vinod Kumar Jain के पत्रांक– 006, दिनांक–15.08.2026, असफल निविदाकार (2) M/s Ram Kripal Singh Constrtuction Pvt. Ltd. के पत्रांक–शून्य, दिनांक–15.08.2026 तथा असफल निविदाकार (3) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. के पत्रांक–MKSS/HO/26-27/13, दिनांक–14.08.2026 के द्वारा परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2610(अनु०) दिनांक–26.08.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक– 25.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध तकनीकी बीड में असफल निविदाकार M/s Vinod Kumar Jain के पत्रांक– 006, दिनांक–15.08.2026, असफल निविदाकार M/s Ram Kripal Singh Constrtuction Pvt. Ltd. के पत्रांक–शून्य, दिनांक–15.08.2026 तथा असफल निविदाकार MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. के पत्रांक–MKSS/HO/26-27/13, दिनांक–14.08.2026 के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत परिवाद/आपत्ति दिया गया है।

इसके अलावे (i) S&P Infrastructure Developers (P) Ltd. (इस उपभाग अन्तर्गत पैकेज सं०–01A, पथ प्रमंडल, बेतिया में भाग लिये निविदाकार) द्वारा M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. के विरूद्ध परिवाद समर्पित किया गया है।

परिवाद /आपत्ति की समीक्षा :–

	परिवाद / आपत्ति	समीक्षा	परिवाद समिति की अनुशंसा
1.	**Vinod Kumar Jain द्वारा दिये गये परिवाद :–** 1. Representation has been sought vide letter cited under reference-1 communicated vide mail dated 14.08.2026 in respect of alleged deficiency in compliance of instructions by the Contractor as bidder in submission of bids for the aforementioned works invited through NIT (S) under reference. 2 The Contractor's/Bidder's bid has been considered non responsive primarily on following issues, in respect of which Contractor's /Bidder's representation is submitted below- (i) 25/- Advocate welfare stamp is not attached with Affidavit. :- An advocate Welfare stamp is not governed by the Indian Stamp Act, 1899. Instead, it is mandated by specific State Advocates' Welfare Fund Acts or the central Advocates' Welfare Fund Act, 2001, and it is legally required to be affixed on a Vakalatnama, not strictly on an ordinary affidavit to make the affidavit valid. The welfare stamp is a statutory requirement meant to be pasted and cancelled on a Vakalatnama (the authorization document given to a lawyer) to fund the welfare and social security of advocates. Whereas, the validity of an affidaviit itself falls under the Code of Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), rather than	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें NIT के कंडिका–28 (Advocate Welfare Stamp) एवं Section-3 Clause 1.2.3, Section-3 Clause 1.2.3 Section 4E-10 FIN-4 तथा NIT के कंडिका–39 (Existing Commitment) के आलोक में असफल घोषित किया गया है। NIT के क्रमांक–28 के आलोक में निविदाकार को शपथ–पत्र के साथ Rs. 25/– का Advocate Welfare Stamp Affixed करना था, जो कि नहीं किया गया। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है। MBD Section-3 Clause 1.2.3	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत

	advocate welfare legislation. Since the submitted Affidavit is not a Vakalatnama mandated to be affixed under specific State Advocates' Welfare Fund Act, 2001, rather it is a document falls under the Code or Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), hence Advocate Welfare Stamp is not required to be affixed on the Affidavit. Therefore, the Contractor's/Bidder's Bid cannot be considered as" non-responsive" on this ground. (ii) 01 Work Supporting certificate issued by Engineer-in-Charge not attached :- The Contractor/Bidder in said respect has submitted (i) Work Orders for the projects billing not yet done; (ii) Work supporting certificate issued by Engineer-in-Charge (iii) pass orders of latest Running Account Bills works under progress The documents submitted in respect of aforementioned (i) and (ii) are not in dispute Regarding 01 work for which the Engineer-in-Charge's certificate could not be obtained due to unavoidable reasons, the submitted Running Account Bills fulfil the requirement for which the supporting certificate from the Engineer-in-Charge was sought. Since the Engineer-in-Charge's certificate has already been submitted for the majority of the works, non-submission of only 01 such certificates due to unavoidable reasons cannot be grounds for declaring the bid non-responsive. Therefore, the Contractor's/Bidder's Bis cannot be considered as" non-responsive" on this ground.	में यह स्पष्ट अंकित है कि The Bidder is complete Form of Current Contract Commitment as part of their bid for the determintion of this value & Current Contract commitments must be duly certified by the Engineer-in-Charge. साथ ही Form-FIN-4 (c) में अंकित है कि The current Contract Commitments must be duly certified by the Engineer-in-Charge. चूँकि MBD के Section-6 Clause-1.22 में Defined है निविदा के NIT की कंडिका–39 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि Existing Commitment Engineer-In-Charge से निर्गत नहीं होने पर Non-Responsive एवं Invalid घोषित किया जायेगा। निविदाकार द्वारा MBD के Section 4E.10 (c) एवं NIT के क्रमांक– 39 के आलोक में Uploaded Existing Commitment की सूची के क्रमांक – 5 पर अंकित कार्य "PROVN OF OTM ACCN AND ALLIED INFRA FOR KLPAT NASIRABAD" से संबंधित Engineer-in-Charge द्वारा निर्गत/हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र Upload नहीं किया गया है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।
3.	Therefore on the above	

	representation made by the contractor/Bidder, it is with utmost respect and humility in the interest of public, competitiveness and justice requested to please be kind to consider the Contractor's/Bidder's Bids responsive for opening of its Financial Bids.		
2.	**M/s Ram Kripal Singh Constrtuction Pvt. Ltd. द्वारा दिये गये परिवाद :–** उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदनपूर्वक कहना है कि विषयांकित कार्य के निविदा में मेरे द्वारा भाग लिया गया है एवं प्रासंगिक पत्रों द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.1 एवं NIT के क्रमांक 28 के आलोक में शपथ पत्र के साथ वांछित 25/- रूपये का Advocate Welfare Stamp संलग्न नहीं किया गया है, के आलोक में दिनांक–13.08.2026 को तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति द्वारा मुझे विषयांकित कार्य के निविदा में असफल घोषित कर दिया गया है। उक्त के संबंध में भवदीय से अनुरोध है कि विषयांकित कार्य के कुल 05 (पाँच) अदद Package में Package wise कुल Advocate Welfare Stamp के लिए कुल राशि 550/– का शपथ पत्र में Affixed किया गया है, जबकि MBD के Section 3; Clause 1.2.1 एवं NIT के क्रमांक–28 के आलोक में Advocate Welfare Stamp के लिए कुल राशि 300/– रूपया का शपथ पत्र में Affixed किया जाना था, लेकिन इसके आलोक में मेरे द्वारा सरकारी राजस्व में अधिक राशि Package wise संलग्न किया गया है। उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर भवदीय से सादर अनुरोध है कि मेरे द्वारा विषयांकित कुल कार्यों में NIT की कंडिका–28 के अनुपालन में शपथ पत्र में Advocate Welfare Stamp की वांछित राशि से अधिक जमा किया गया है। अतः इस आधार पर सहानुभूतिपूर्वक पुनः विचार करते हुए तकनीकी बीड में मुझे सफल घोषित करने की कृपा की जाय। (1). साथ ही अनुरोधपूर्वक भवदीय	NIT के क्रमांक–28 के आलोक में निविदाकार को शपथ पत्र के साथ Rs. 25/– का Advocate Welfare Stamp affixed किया जाना वांछित था। किन्तु उनके द्वारा मात्र Rs. 20/– का उक्त Stamp Affixed किया गया। अतः निविदाकार का आपत्ति अमान्य किया जा सकता है। M/s Silica Infra Pvt. Ltd. को National Highway Authority of India के कार्यरत्त Concessioniar Patna Highway Project Ltd. द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। निर्गत प्रमाण पत्र पर Project Implementation Unit, Patna, NHAI द्वारा Countersigned किया गया है। NHAI द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर ही Specific Experience of Similar nature of work के तहत् आलोच्य निविदा में	Ram Kripal Construction Pvt. Ltd. द्वारा NIT के क्रमांक–28 एवं MBD के Section-3, Clause 1.2.1 के आलोक में समर्पित शपथ–पत्रों में कुल Rs. 40/- का Advocate Welfare Stamp संलग्न है। अतः परिवाद का यह बिन्दु मान्य है।

	के संज्ञान में ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि:— M/s Silica Infra Pvt. Ltd. को दिनांक 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही में तकनीकी बीड में NIT के क्रमांक–14 के अनुसार तकनीकी बीड मुल्यांकन शीट में National repute का रजिस्ट्रेशन को मान्य करते हुए तकनीकी बीड में सफल घोषित किया गया है, जबकि इनके द्वारा National repute कम्पनी से संबंधित कोई रजिस्ट्रेशन कागजात निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है। साथ ही विभागीय पत्रांक 6158 (S), दिनांक 09.07. 2014 में MBD पर आधारित निविदा के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु Eligibility Criteria के संबंध में कंडिका 5.1 प्रथम प्रक्रम "यह प्रक्रम निविदाओं के तकनीकी बीड में सफल होने के लिए अनिवार्य होगी। इस प्रक्रम पर असफल पाये जाने वाले निविदाकारों के तकनीकी बीड प्रारंभ में अस्वीकृत होगा एवं किसी भी हालत में विचारणीय नहीं होगा, जो इस निविदाकार के निविदा पर सत्प्रतिशत लागू होता है, क्योंकि इनके द्वारा National repute कम्पनी का निबंधन निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है। साथ ही Specific Experience of Similar nature of work, MBD के Section:3; Clause 2.4.2.B के तहत जो तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति द्वारा निर्णय लेकर सफल किया गया है, वह भी किसी सरकारी/गैर सरकारी/BOT के द्वारा किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत नहीं है, केवल किसी संवेदक के द्वारा Sub Contract के रूप में दिया गया है, उसे ही निविदा के साथ अपलोड किया गया है, जो विचारणीय नहीं है एवं उक्त वर्णित विभागीय आदेश के कंडिका –5.1.1 के प्रक्रम की अर्हता को पूर्ण नहीं करता है। (2). Bhartia-Barhonia 'JV' को दिनांक 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही में तकनीकी बीड में सफल घोषित किया गया है, जबकि NIT के कंडिका–23 में वर्णित विभागीय पत्रांक	Responsive घोषित किया गया है। इस Pvt. Ltd. द्वारा कई राज्यों में NHAI के अधीन कार्य कराया जा रहा है। विदित हो कि National Highway Authority of India भारत सरकार का एक उपक्रम है। उक्त तथ्यों के आलोक में M/s Silica Infra Pvt. Ltd. National Reputed Company है। NIT की कंडिका–14 के आलोक में M/s Silica Infra Pvt. Ltd. निविदा की वांछित अर्हत्ता पूर्ण करते है। फलतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है। Bhartia – Barhonia 'JV' आलोच्य निविदा के निविदाकार नहीं है, फलतः आपत्ति विचारणीय नहीं है। M/s Amhara Construction Pvt. Ltd. आलोच्य निविदा के निविदाकार नहीं है, फलतः आपत्ति विचारणीय नहीं है।	

	8131(S)We, दिनांक 24.07.2012 के उपकंडिका–2.2 के अनुसार Each Partner का First Class Executive Magistrate का शपथ पत्र निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है, लेकिन इनके द्वारा Notary का शपथ पत्र निविदा के साथ अपलोड किया गया है। (3). M/s Amhara Construction Pvt. Ltd. को दिनांक 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही में विभिन पैकेजों में तकनीकी बीड में सफल घोषित किया गया है, जबकि Net worth तथा Profit & loss का (Fin.–1) जो कागजात निविदा के साथ अपलोड किया गया है, वह uploaded Balance Sheet के अनुरूप नहीं है एवं Balance Sheet में टंकित UDIN से मिलान किये जाने पर सही नहीं मिलता है। साथ ही NIT के क्रमांक 13 एवं MBD के ITB Clause–16 के अनुसार Bid Validity कम से कम 180 दिन का undertaking निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है, लेकिन इनके द्वारा Bid Validity के आलोक में केवल "As per NIT & MBD" लिखकर निविदा के साथ अपलोड किया गया है, जो विभागीय निविदा प्रक्रिया के विरूद्ध है तथा शपथ पत्र में भी इसका जिक्र नहीं किया गया है एवं इस आधार पर निविदा अविचारणीय है। साथ ही इनके द्वारा Equipment के अन्तर्गत जो MBD के Section: 3; Clause 2.6 Section 4, D-3 के तहत Hot Mix plant अधिकतम 10 साल पुराना एवं owned होना चाहिए, जबकि इनका Hot Mix Plant वर्ष 2013 का है एवं उसमें 120TPH का कागजात निविदा के साथ अपलोड किया गया है, जबकि इनके पास मात्र एक ही Hot Mix Plant है, जो 45-60TPH का है, जिसकी जॉच विभागीय स्तर से भी की जा सकती है। साथ ही निविदा के साथ अपलोडेड Hot Mix Plant की कागजात के आधार पर भी जाँच कर ही निविदा की निष्पादन किया जाना न्यायसंगत एवं उचित होगा। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भवदीय से सहानुभूतिपूर्वक सादर अनुरोध है कि इस		

	प्रकार दिनांक 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही में किये गये निर्णय के तहत् कई निविदाताओं द्वारा Uploaded किये गये कागजातों में त्रुटि होने के बावजूद भी दरकिनार करते हुए तकनीकी बीड में सफल घोषित कर दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है एवं इस पर पुनः विचार करते हुए तकनीकी बीड में सफल ६ असफल पर निर्णय लेने पर विचार किया जाय।		
3	**MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. द्वारा दिये गये परिवाद :–** सविनय निवेदन है कि मैने 'OPRMC-III के पैकेज सं०– 4B' हेतु आमंत्रित निविदा में विधिवत भाग लिया है। उक्त निविदा की तकनीकी जाँच के दौरान मेरे निविदा प्रपत्र को *Hot Mix Plant के स्वामित्व /Ownership से संबंधित आधार पर Non-Responsive* घोषित किया गया है। इस संबंध में सादर निवेदन है कि *Hot Mix Plant से संबंधित आवश्यक कागजात / दस्तावेज मेरे द्वारा निविदा के साथ ही संलग्न कर प्रस्तुत किए गए थे।* अतः Hot Mix Plant के स्वामित्व/उपलब्धता से संबधित आवश्यक प्रमाण मेरे निविदा दस्तावेज में पहले से ही उपलब्ध है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत किए गए *Hot Mix Plant से संबंधित दस्तावेजों का पुनः अवलोकन एवं सत्यापन* करने की कृपा की जाए तथा उक्त आधार पर मेरे निविदा को Non-Responsive घोषित किए जाने के निर्णय पर पुर्नविचार किया जाए। यदि प्रस्तुत दस्तावेज निविदा की निर्धारित शर्त के अनुरूप पाए जाते है, तो कृपया मेरी निविदा को *Responsive घोषित करते हुए मेरी Financial Bid खोलने की अनुमति प्रदान करने* की कृपा की जाए। इस आवेदन के साथ Hot Mix Plant से संबधित दस्तावेजों की प्रति पुनः संलग्न की जा रही है, ताकि मामले पर उचित एवं निष्पक्ष रूप	इनके द्वारा Hot Mix Plant से संबंधित Invoice Siddharth Construction Pvt. Ltd. का निविदा में Upload किया गया है। MBD Section-3 Clause-2.6-Section 4D3 तहत् Own Hot Mix Plant से संबंधित आवश्यक कागजात / दस्तावेज / Invoice Upload नहीं किये जाने के फलस्वरूप परिवाद का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत

	से विचार किया जा सके। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे मामले पर सहानुभूतिपूर्वक एवं नियमानुसार पुर्नविचार करने की कृपा करें।		
4	**S&P Infrastructure Developers (P) Ltd. द्वारा दिये गये परिवादः–** 1. M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. (i) Power of Attorney: The prescribed ₹25/- Welfare Ticket has not been affixed to the Power of Attorney. (ii) Bidder Information Affidavit: The prescribed 25/- Welfare Ticket has also not been affixed to the Bidder Information Affidavit. (iii) Conflict of Interest: In place of the required Affidavit relating to Conflict of Interest, a Technical Bid Sheet has been submitted. Therefore, it requires verification whether the document submitted actually complies with the prescribed tender requirement. (iv) Form LIT-I - Pending Litigation: The required Affidavit in respect of Form LIT-I – Pending Litigation has also not been submitted. (v) Litigation History declared as "NIL"" despite information regarding two pending cases: It is a matter of serious concern that M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. has declared its Litigation History as "NIL", whereas, as per the information/records available to us, the following two cases are pending in respect of the said company: 1. Case No. MCA/293/2026--pending before the Hon'ble Bombay High Court, Nagpur Bench. 2. Case No. 25664/2025 - pending before the Hon'ble Supreme Court of India. Despite the pendency of the above two	यद्यपि S&P Infrastructure Developers (P) Ltd. इस निविदा के निविदाकार नहीं है तथापि इनके द्वारा निविदाकार M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. के विरूद्ध परिवाद समर्पित किया है। Power of Attorney पर Rs. 25/- का Advocate Welfare Stamp वांछित नहीं है। Bidders Information Sheet पर Rs. 25/- का Advocate Welfare Stamp वांछित नहीं है। फलतः परिवाद के ये बिन्दु मान्य नहीं किये जा सकते है। S&P Infrastructure Developers (P) Ltd. द्वारा अपने परिवाद में निम्न दो वाद अंकित किया गया है। (i) Case No. MCA/293/2026 & (ii) Case No. 25664/2025 (i) माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई के Website पर उक्त वाद की जाँच की गई एवं पाया गया कि वाद की अद्यतन स्थिति Pending है। (ii) Supreme Court of India के Website पर परिवादी द्वारा अंकित वाद की जाँच की गई की गई एवं पाया गया कि वाद (SLP-25664/2025) RITES से संबंधित है, जिसकी अद्यतन स्थिति Pending है। उक्त दोनों वाद को MBD Section-3 Clause-2.2.1- Section 4E के तहत् Form-LIT-1 में अंकित नहीं किया गया है। Form-LIT-1 में	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत

	cases, if the bidder has declared its Litigation History as "NIL", the matter requires detailed and independent verification in accordance with the tender conditions. In particular, in the light of the provisions of the Model Bidding Document (MBD), Section-3, Clause 2.2.1 and Section 4E.5, it is necessary to verify whether all information required to be disclosed by the bidder in respect of its litigation history has been furnished completely, correctly and truthfully. If disclosure of the above pending cases was required under the prescribed format/declaration of the tender documents, and the bidder has nevertheless declared "Litigation History - NIL", the same becomes a serious matter for consideration while determining the Responsiveness of the bid. It is therefore requested that the current status, parties and nature of the above cases be verified from the concerned judicial records and that it also be examined whether disclosure of these cases was mandatory under MBD Section-3, Clause 2.2.1 and Section 4E.5. In view of the above, the deficiencies in the prescribed documents submitted by M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd., as well as the issue relating to its Litigation History, require re-examination in accordance with the tender conditions.	इनके द्वारा NIL अंकित किया गया है। अतः परिवाद का यह बिन्दु मान्य किया जा सकता है।	

7. **परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसाः–**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षोपरांत एवं सम्यक विचारोपरान्त उपभागीय ज्ञापांक– 2448 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में पूर्व में लिये गये निर्णय को संशोधित करते हुए (इस उपभाग अन्तर्गत पैकेज सं०–01A, पथ प्रमंडल, बेतिया में भाग लिये निविदाकार S&P Infrastructure Developers (P) Ltd. के परिवाद के आलोक में) M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. को निविदा के तकनीकी बीड में MBD Section-3 Clause-2.2.1- Section 4E के तहत् असफल घोषित करने की संशोधित अनुशंसा की जाती है।

साथ ही (i) Vinod Kumar Jain (ii) M/s Ram Kripal Singh Constrtuction Pvt. Ltd. एवं (iii) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. से प्राप्त परिवाद के बिन्दुओं के अमान्य होने के फलस्वरूप शेष निविदाकारों के संबंध में सफल/असफल घोषित करने के पूर्व के निर्णय को यथावत् रखा जा सकता है।

8. परिवाद समिति का निर्णय :–

(i) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) M/s Vinod Kumar Jain के पत्रांक– 006, दिनांक–15.08.2026, (2) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. के पत्रांक–MKSS/HO/26-27/13, दिनांक–14.08.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य एवं निविदा के तकनीकी बीड में सफल निविदाकार (3) M/s Ram Kripal Singh Constrtuction Pvt. Ltd. के पत्रांक–शून्य, दिनांक–15.08.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को मान्य करने एवं अन्य निविदाकार यथा S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd. के द्वारा निविदा के तकनीकी बीड में सफल निविदाकार यथा M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. के विरूद्ध दिए गए परिवाद/आपत्ति को मान्य करने का निर्णय लिया जाता हैं।

(ii) 06 (छः) निविदाकार यथा (1) M/s Ashoka Buildcon Limited को Section 3 Clause 1.2.3, Section 3 Clause 1.2.3-Section 4E-10 एवं NIT के क्रमांक–39 तथा NIT के क्रमांक–28 के आलोक में (2) M/s Vinod Kumar Jain को MBD के Section 3 Clause 1.2.3, Section-3 Clause 1.2.3-Section 4E-10 FIN-4 एवं NIT के क्रमांक–39 तथा NIT के क्रमांक–28 के आलोक में (3) T & T – Aakshya 'JV' को MBD के Section 3 Clause 1.2.3, Section 3 Clause 1.2.3. -Section 4E-10 एवं NIT के क्रमांक–39, ITB-Clause -17 एवं NIT के क्रमांक–28 के आलोक में (4) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. को MBD के Section 3 : Clause 2.6 एवं Section 4.D.3 के आलोक में (5) M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. को निविदा के तकनीकी बीड में MBD Section-3 Clause-2.2.1- Section 4E के तहत् वांछित अर्हत्ता पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप तकनीकी बीड में असफल घोषित एवं (6) Avednex Private Limited द्वारा e-proc 2 में वांछित कागजातों के विरूद्ध केवल GST रजिस्ट्रेशन निविदा के साथ Upload किये जाने के फलस्वरूप इनके निविदा को अमान्य करने का निर्णय लिया जाता है।

(iii) 04 (चार) (1) M/s Adarsh Construction (2) Silica Infra Pvt. Ltd. (3) M/s Velji Ratna Sorathia Infra Pvt. Ltd. एवं (4) M/s Ram Kripal Singh Constrtuction Pvt. Ltd. द्वारा निविदा की वांछित अर्हत्ता को पूर्ण करने करने के कारण निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता हैं। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है।

(iv) उपभागीय ज्ञापांक–2448 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(v) मुख्य अभियंता, उत्तर संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

02/09/26 | 02/9/26 | 2/9/26 | 02/9/26

(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता,
उत्तर, पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

(राजेश कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

(अभिषेक पलासिया)
संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0–7/निविदा–03–159/2026 6204 (E)

पटना, दिनांक 2/9/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02/9/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।